भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ___

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून में मसूरी सीवर योजना के अन्तर्गत कैमल बैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.1650है० वन स्वरूप भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.165 हैक्टर वन स्वरूप भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.1650 हैक्टर रॉक क्लिप मसूरी की वन स्वरूप भूमि।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1 से 0.2के बीच
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई / जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. -4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित चयनित स्थल के आस–पास बांज प्रजाति के कुल 26 वृक्ष स्थित है। जिसमें से 0–10 व्यासवर्ग का एक(1), 10–20 व्यासवर्ग के 7 तथा 20–30 व्यासवर्ग का एक(1 कुल 9 बांज वृक्षों का प्रत्यारोपण (Transplanting) किया जाना है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक–29, 30 व 31 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल रॉक क्लिप मसूरी की वन स्वरूप भूमि के अर्न्तगत एंव इन सीमाओं से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाएं)	नहीं। इस बावत वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक–20 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं

उ०व०स०

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित निर्माण स्थल के आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक– 25ए पर चस्पा किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है0 से कम है अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं नहीं है। किन्तु प्रस्तावित निर्माण स्थल के आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण किया जाना है। जिसका प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक–25ए पर दिया जा रहा है। भू–खण्ड पहाड़ी ढालदार है। प्रस्तावित /चयनित स्थल नगरपालिका मसूरी के अन्तर्गत वन स्वरूप भूमि है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:**– जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:**– स्वयं वन विभाग। **समय:**– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:**– परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 17200.00 (रू0 सत्रह हजार दो सौ मात्र)का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक–23ए एंव रू0 163600.00 (रू0 एक लाख तिरसठ हजार छः सौ मात्र)100 वृक्षों के रोपण हेतु का प्राक्कलन संलग्नक 25ए पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू0 17200.00 (रू0 सत्रह हजार दो सौ मात्र) एंव रू0 1,63,600.00 (रू0 एक लाख तिरसठ हजार छः सौ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक– 15, 16 व 17 पर है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 17.12.2013 को किया गया है, जो कि संलग्नक–17ए पर की गई संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्न है।

प्र0व0अ0

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 74 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 507.8275 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 159.149 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर–	(क) 192.5640 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 180.91 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 20, दिसम्बर 2013 ।

नाम– (डा0 धीरज पाण्डेय)
सरकारी मुहर

स्थान:– मसूरी,